FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उप जिला कलेक्टर** मुकाम **दीगोद**

शकुन्तला उर्फ सुगना बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा 88-89 RTAct नं. 16 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2018/00112	
8/5/18	आज वादीनी शकुन्तला की ओर से वकील श्री भरत शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट मौशिता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी की जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत गढेपान में दिनांक 14/5/18 को पेश हो।	
14/5/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प गढेपान में पेश हुई। वादीगण मय अधिवक्ता एवं विवादित आराजी की सहखातेदार नाजकुमारी मजमें आम में उपस्थित। वकील वादीगण को मजमे आम मे सुना गया। वकील वादी ने कथन किये कि वादीगण के समस्त पहचान पत्रों में नाम क्रमशः शकुन्तला, तेजपाल, किशन गोपाल व बोधराज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम क्रमशः सुगना, राजू, गोपाल व पिन्टू पिता जमनालाल दर्ज है। जिसे दुरूस्त किया जाकर सुगना के स्थान पर शकुन्तला, राजू के स्थान पर तेजपाल, गोपाल के स्थान पर किशन गोपाल एवं पिन्टू के स्थान पर बोधराज दर्ज किया जावें। मजमें आम में प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसे शा0 मि0 किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया।	

(हस्ताक्षर) नाजकुमारी

(हस्ताक्षर) शकुन्तला

कि0 गोपाल

तेजपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	20/8/2022
	तहसील दीगोद स्थित खाता सं0 114 में वादीगण का नाम क्रमशः सुगना, राजू, गोपाल व पिन्टू पिता जमनालाल दर्ज है। जवाब सरकार में पैरोकार सरकार की ओर से वादीगण का नाम दुरूस्त करनें की अनुशंषा की है तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि में वादीगण का नाम क्रमशः शकुन्तला, तेजपाल, किशन गोपाल व बोधराज अंकित है। नगर निगम कोटा के वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्रों से भी वादीगण का नाम दरूस्तनीय है। सहखातेदार ने मजमें आम में उपस्थित होकर दुरूस्ती किये जानें की सहमति प्रकट की है तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। लिहाजा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम चींसा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 107 रकबा 1.75 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम सुगना पुत्री जमना लाल के स्थान पर शकुन्तला उर्फ सुगना पुत्री जमना लाल, राजू पुत्र जमना लाल के स्थान पर तेजपाल उर्फ राजू पुत्र जमना लाल, गोपाल पुत्र जमना लाल के स्थान पर किशन गोपाल उर्फ गोपाल पुत्र जमना लाल एवं पिन्टू पुत्र जमना लाल के स्थान पर बोधराज उर्फ पिन्टू पुत्र जमना लाल दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।